

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3(ख)/ (एम-125/88 आर)/अलेसे-11/1722

दिनांक :- 02.01.2017

कार्यालय आदेश

श्री महेश कुमार सोनी (लिंक नं. 5975) सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, अलवर (19497) को दिनांक 18.05.2015 से 17.11.2015 तक अपने वर्तमान कार्यालय के साथ-साथ कार्यालय अधिशाषी अभियंता भू-जल विभाग, अलवर (4000398) के कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद का कार्य सम्पादित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार स्वयं के वेतन का 3 प्रतिशत दोहरा कार्यभत्ता (अधिकतम 6 माह तक) स्वीकृत किया जाता है। पूर्व में जारी अतिरिक्त कार्यभत्ता स्वीकृति आदेश क्रमांक 1291 दिनांक 25.10.2016 निरस्त किया जाता है।


(पंकज चाटनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ख)/ (एम-125/88 आर)/अलेसे-11/1722

दिनांक :- 02.01.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, अलवर।
2. अधिशाषी अभियंता, भू-जल विभाग, अलवर।
3. कोषाधिकारी, अलवर।
4. श्री महेश कुमार सोनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, अलवर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. रक्षित पत्रावली / निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)